

Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India.

परिचयित वस्तु प्रबंधन शाखा
पुणे सं. 8-बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूना रोड, नई दिल्ली-110006

दूरभाष : 011-40991567, (एक्स 240), ई-मेल : delhiarn@kbtbank.com वेबसाइट : www.karnatakabank.com सीआइएन : एल851108एल824बीएलसी001128

अचल संपत्ति की विक्रय सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निरामाती 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पंजीत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।

उपरोक्त जानकारी के साथ विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(री) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति ऋणदाता के पास बंधकृत / प्रमांनित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका संकेतिक अभिग्रहण कर्नाटक बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूति ऋणदाता द्वारा 04-10-2024 को कर लिया गया है, उसका विक्रय 09-07-2024 को "जेसी हे जेडी", "जेसी हे जी हे" और "वडी जो कुडु भी हे" आधार पर किया जाएगा, जो कि निम्न की वस्तु हेतु होगा :-
रु. 7,04,318.74 (रुपये सात लाख चार हजार तीन सौ अठारह और चौबहत्तर पैसे मात्र) यानी ऋण खाता संख्या 2667001600006101 के अंतर्गत 22.08.2024 से मॉचिया के ब्याज सहित, प्लस लागत, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, प्रतिभूति ऋणदाता को (1) श्रीमती रेखा रानी पत्नी श्री राम नारायण ल्यागी, (2) श्री राम नारायण ल्यागी पुत्र श्री बलबीर सिंह ल्यागी, दोनों (1) एवं (2) का पा : एन-76, विजय नगर, टीचर्स कॉलोनी, सेक्टर-12, गांधियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 है, उधारकर्ताओं / गारंटरों / सह-दायित्वकर्ताओं के रूप में, की ओर से देय है।

अचल संपत्ति का विवरण -
आवासीय संपत्ति सं. एन-76 के समतल वड भाग तथा अंश जो प्रताप विहार, टीचर्स कॉलोनी, विजय नगर, गांधियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित तथा श्रीमती रेखा रानी से संबंधित है।
सीमाएं - पूर्व- भूखण्ड सं. 77, पश्चिम- भूखण्ड सं. 75, उत्तर- भूखण्ड सं. 55, दक्षिण- सड़क।
अवस्थित मूल्य / असेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती : रु. 1,11,10,000.00 (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख चार हजार मात्र)
रकम / निविदा की जाने वाली बचाना राशि : रु. 11,11,000.00 (रुपये ग्यारह लाख चार हजार मात्र) (उधारकर्ता / बंधककर्ता का ध्यान, प्रतिभूति परिसंपत्ति के मौल्यार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों की ओर आग्रह किया जाता है।)
(एक सूचना उधारकर्ता / गारंटरों के लिए प्रतिभूति हित प्रवर्तन निरामाती 2002 के नियम 8(6) के उप-नियम 8(क) के अंतर्गत निम्न सूचना के रूप में भी प्रेषित / प्रकाश डूनी समझें।)
8(क) के अंतर्गत निम्न विवरणों एवं शर्तों के अधीन, प्रस्तावित विक्रय के लिए वेबसाइट अर्थात् www.karnatakabank.com के "विक्रय की बंधक परिसंपत्तियों" शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध लिंक का पालन प्रकृत करें।
ई-नीलामी का संचालन पोर्टल <https://bankauctions.in/> के माध्यम से 04-10-2024 को मंगल, 11.30 बजे से लेकर 05 अगस्त 12.30 बजे तक किया जाएगा, जो 05 मिनटों के असीमित विस्तार के साथ होगा। इच्छुक श्रेष्ठदाताओं से अपेक्षित है कि वे <https://bankauctions.in/> पर अपना नाम पंजीकृत करें और निम्नलिखित रूप में प्रस्ताव अंदाजी एवं फाइनल प्रस्ताव कर से तथा निर्यात अंतर्गत, 005ए, 03वां तल, नैशनल, अग्निशेखर इंदिराबाद-500038, पार्क सं. 04023836405, मीनाबाद नं. 814200809, ईमेल : info@bankauctions.in से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रविष्टि (अनिमित्त रूप में 03-10-2024 को) प्राप्त करें।
दिनांक : 27-08-2024 कृते कर्नाटक बैंक लिमिटेड
स्थान : गांधियाबाद मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

IndiaShelter Home Loans
इंडिया शेल्टर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : प्रजा तल, प्लॉट-15, सेक्टर-44, इंदौर/इंदौर/इंदौर, गुणगाय, हरियाणा-122002
शाखा कार्यालय : (143) इंदौर तल, मेन रोड फोरिंग (आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर), सिविल लाइन्स, बरौली-243001

मांग सूचना
वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(6) के अधीन सूचना
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदारों ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (आईएसएफएल) से ऋण प्राप्त किया था और आईएसएफएल को अपने ऋण की समान मांशिक किस्तें (ईएमआई) चुकाने में असफल रहे हैं तथा कि उनका ऋण खाता राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनाजिक आसित श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है। कर्जदारों द्वारा आईएसएफएल को अचल संपत्तियां बतौर प्रतिभूति उपलब्ध कराई हैं, जिसका विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है। ऋण और कर्जदारों द्वारा आईएसएफएल को अचल संपत्तियों का विवरण भी यहां नीचे निर्दिष्ट किया गया है। कर्जदार(री) और सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अयोध्यास्थानी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित कर्जदार(री) के विरुद्ध वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के अधीन कार्यवाही आरंभ कर दी है और इस अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। यदि निम्नलिखित कर्जदार उनके नामों के समक्ष निर्दिष्ट बचाना राशि सूचना के 60 (साठ) दिन के भीतर करने में असफल रहते हैं तो अयोध्यास्थानी सरकारी ऐक्ट की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति लेनदार को प्रदत्त किसी एक अथवा अधिक संपत्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें प्रतिभूति संपत्ति का कब्जा लेना और उसको विक्री करना शामिल है। सर्वसाधारण को सलाह दी जाती है कि यहां नीचे वर्णित संपत्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करें।

क्र. सं.	कर्जदार(री)/गारंटर/कानूनी संपत्ति/कानूनी प्रतिभूति का नाम, ऋण खाता सं.	एम्पीए/सि/मांग सूचना	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूति आसित(री) (अचल संपत्तियों) का वर्णन
1.	श्री/श्रीमती मुनी देवी के सभी कानूनी संपत्ति, श्री/श्रीमती राम निवास के सभी कानूनी संपत्ति, ऋण खाता सं. LA11VILLONS0000050762359	06-08-2024 एवं 22-08-2024	रु. 9,07,859/- (रुपये नौ लाख सात हजार आठ सौ उनसठ मात्र) 20-08-2024 तक बचाना, उस पर 21-08-2024 से मुदाता की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभारों तथा लागत सहित	समस्त के सभी अंश एवं खंड : मकान, सेक्टरल परियोजना 24.95 वॉल गेट, जो मीना/ग्राम- कोथिन मीरपुर कटर, तारसील-तिलहर, जिला शाहवांगपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। बौद्धदी :- पूव : मंगली का मकान, पश्चिम : राजेन्द्र का मकान फिर रोड, उत्तर : गली, दक्षिण : मकान

स्थान : शाहवांगपुर तिथि : 27-08-2024 (प्राधिकृत अधिकारी) वार्डो इंडिया शेल्टर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

रेलटेल
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआइएन- L6202D12000GO1107905

ई-निविदा सं. रेलटेल/टंडर/ओटी/सीओ/प्रोजेक्ट/2024-25/एम्पीडब्ल्यूडीएम/013 तारीख: 19/08/2024. एम्पीडब्ल्यूडीएम उपकरणों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण तथा कमीशन, रेलटेल के मौजूदा नेटवर्क के साथ एकीकरण सहित। निविदादस्तावेज www.railtel.in और <https://railtel.envida.com> वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परीशिट / बुद्धि पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर डाला जाएगा।

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिस्कट्रकक कंपनी लिमिटेड
कोर्पोरेट पहचान संख्या: U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेजी नगर, अंधेरी कुरिया रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 400025

वेबसाइट - www.jmfinancialarc.com
संपर्क व्यक्ति: 1. प्रशांत पांडे - 7054013999 2. रोहन सावंत - 9833143013 3. प्रशांत मोडे - 022 - 6224 1676

ई-नीलामी विक्री सूचना - ताजा विक्री

विपणन शीट/पत्र एवं इतर वित्तीय वस्तुओं के 29 मार्च, 2023 के अंतिम तिथि पर एसेट (असाइनिंग एसेट) के माध्यम से वित्तीय आसितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरकारी अधिनियम) की धारा 5 (1) (बी) के तहत जेएमफाइनेंशियल (जेएम) लिमिटेड वहां असाइनी के रूप में संदर्भित किया गया है।

ई-निविदा सं. रेलटेल/टंडर/ओटी/सीओ/प्रोजेक्ट/2024-25/एम्पीडब्ल्यूडीएम/013 तारीख: 19/08/2024. एम्पीडब्ल्यूडीएम उपकरणों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण तथा कमीशन, रेलटेल के मौजूदा नेटवर्क के साथ एकीकरण सहित। निविदादस्तावेज www.railtel.in और <https://railtel.envida.com> वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परीशिट / बुद्धि पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर डाला जाएगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
बैंक ऑफ बड़ौदा, अचल कार्यालय, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

सविदा आधार पर बीसी समन्वयकों के पद के लिए निम्नलिखित सूचना
बैंक ऑफ बड़ौदा नई दिल्ली अंचल में सविदा आधार पर बीसी समन्वयकों के पद के लिए मुद्रा उम्मीदवारों के साथ-साथ अनुभवी सेवानिवृत्त बेकरो से पूर्व-योग्यता के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
इच्छुक उम्मीदवार पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को हाई कोपी भेज सकते हैं।

पद	रिक्ति सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय का पता
बीसी समन्वयक	-03-	पूर्वी दिल्ली क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालय पूर्वी दिल्ली क्षेत्र-16, संसद मार्ग, पहाड़ी मंजिल, नई दिल्ली-110001
बीसी समन्वयक	-02-	मुद्रगांव क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालय, पहली मंजिल, टॉवर-1, प्लॉट नंबर 16, इंदरकॉन इंटरनेशनल टॉवर, सेक्टर-32, मुद्रगांव-122001
बीसी समन्वयक	-03-	नोएडा क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा क्षेत्र-16, संसद मार्ग, 13 वीं मंजिल, नई दिल्ली-110001
बीसी समन्वयक	-04-	उत्तरी दिल्ली क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालय उत्तरी दिल्ली क्षेत्र-16, संसद मार्ग, चौसठरी मंजिल, नई दिल्ली-110001
बीसी समन्वयक	-02-	दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र-16, संसद मार्ग, 11 वीं मंजिल, नई दिल्ली-110001
बीसी समन्वयक	-01-	पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र-16, संसद मार्ग, 12 वीं मंजिल, नई दिल्ली-110001

वित्त सूचना के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर जाएं।
नोट: बैंक ऑफ बड़ौदा बिना कोई कारण बताए किसी/सभी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

कार्यालय नगर पंचायत मलुअनी, जनपद-देवरिया

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं नगर पंचायत मलुअनी अपने नगरवासियों को निम्न अपेक्षा करती है

दिव्या मित्तल आई.ए.एस. जिलाधिकारी, देवरिया
गौरव श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी (प्र.) प्रभावी अधिकाारी पंचायतीय निकाय, देवरिया
महेन्द्र पाण्डेय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मलुअनी जनपद-देवरिया

संजय प्रसाद पोटन पासवान रमेश कुमार निकिता राय रविन्दर यादव गिरिजेश यादव आदेश कुरावाहा
पार्ड नं.-1 पार्ड नं.-2 पार्ड नं.-3 पार्ड नं.-4 पार्ड नं.-5 पार्ड नं.-6 पार्ड नं.-7
पुनम तिवारी विक्रम सिंह रामाश्रय यादव प्रेमरीला देवी शक्ति मन्देशिया श्रीमती रूपमणि देवी अंगद सिंह
पार्ड नं.-8 पार्ड नं.-9 पार्ड नं.-10 पार्ड नं.-11 पार्ड नं.-12 पार्ड नं.-13 पार्ड नं.-14

दिव्या मित्तल आई.ए.एस. जिलाधिकारी, देवरिया
गौरव श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी (प्र.) प्रभावी अधिकाारी पंचायतीय निकाय, देवरिया
महेन्द्र पाण्डेय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मलुअनी जनपद-देवरिया

1-ये नगर आपका है, इसे स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करें। 2- अपने घरों से निकलने वाले कूड़े-कचरे को निर्धारित स्थान पर ही डालें। 3- स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के दृष्टिगत अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का प्रयास करें। 4-अपने समस्त घरों की अदायगी समय से करें। 5- भवन निर्माण करने से पूर्व नगर पंचायत से भवन मानचित्र की स्वीकृति अवश्य करा लें। 6- पथ प्रकाश को क्षतिग्रस्त न करें। 7- पालीथीन बैग का प्रयोग न करें, जुट एवं कागज से बने थैलों का प्रयोग करें। 8- नालों में घर का कूड़ा-कचरा ना डालें, नगर पंचायत द्वारा चिह्नित स्थानों पर ही डालें। 9- पर्यावरण हित में अधिक से अधिक पेड़ लगायें एवं जल संसाधन का अपव्यय ना करें। 10- सड़े-गले पदार्थों का सेवन ना करें, एवं इंडिया मार्क हेण्डपम्प का शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें। 11- अपने घर के आस-पास जलजमाव ना होने दें, एवं जलजमाव वाले स्थानों पर मिट्टी तेल/एंटी लारवा का छिड़काव करें। 12- खुले में शौच न जायें, शारसन द्वारा निर्मित घरेलू/सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करें। 13- जन्म-मृत्यु का पंजीकरण समयावधि के अन्दर करवायें। 14- सम्प्रदायिक सौहार्द बनायें रखें। 15-सरकारी स्वाभिव्य की भूमि/सड़कों/नालियों का अतिक्रमण न करें।

देवेश कुमार अध्यक्ष नगर पंचायत मलुअनी जनपद-देवरिया

THE BUSINESS DAILY.
FOR DAILY BUSINESS.

FINANCIAL EXPRESS

financialexpress.com

कार्यालय नगर पंचायत हेतिमपुर, देवरिया

स्वच्छ हेतिमपुर... स्वस्थ हेतिमपुर...

15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कार्यालय नगर पंचायत हेतिमपुर, देवरिया के तर्फ से नगरवासियों को मंगलमय जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए निम्न अपेक्षा करती है:-

दिव्या मित्तल आई.ए.एस. जिलाधिकारी, देवरिया
गौरव श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी (प्र.) प्रभावी अधिकाारी पंचायतीय निकाय, देवरिया
महेन्द्र पाण्डेय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत हेतिमपुर देवरिया

मा० सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री उ.प्र. सरकार

1- सदैव घरेलू शौचालय का प्रयोग करें, खुले स्थान पर शौच करना एक सामाजिक अपराध है एतएव खुले स्थान पर शौच न करें एवं नाला/ नाली में मल इत्यादि न डालें। 2- किसी भी प्रकार के प्लास्टिक व थर्मालकोल से बना बस्तु जैसे गिलास, प्लेट, थाली का प्रयोग स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है, इसलिए इसका प्रयोग कदापि न करें, यह दंडनीय अपराध है। 3- नगर पंचायत हेतिमपुर द्वारा नगर में लगाये गये वृक्षों को क्षति न पहुंचाये, उनकी रक्षा करें आपका कर्तव्य है, पर्यावरण के हित में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। 4- यह नगर आपका है नगर को साफ-सुथरा रखने में सहयोग प्रदान करें। 5- नगर पंचायत हेतिमपुर का गृहकार, जलकर, दुकान बिराया आदि कार समय से भुगतान करें। 6- भवन मानचित्र स्वीकृति कराने के उपरान्त ही भवन निर्माण कार्य करायें। 7- निकाय में लगे हाइड्रॉप एवं प्लान्ट, ड्रि, डो, पाइपों को क्षतिग्रस्त न करें, ये निचा काल के घरेली हैं। 8-निकाय के सड़क भूमि पर अतिक्रमण न करें। 9- नाले/नालियों नालाव, घोंघरी में कूड़ा-कचरा न डालें।

निशा देवी गांधी प्रसाद इन्दु देवी श्रीप्रकाश मल्ल मालती देवी परमहंस सिंह माला देवी
पार्ड नं.-1 पार्ड नं.-2 पार्ड नं.-3 पार्ड नं.-4 पार्ड नं.-5 पार्ड नं.-6 पार्ड नं.-7
शिव कुमार जायसवाल काशीनाथ मौर्या मुकेश कुं जायसवाल आरती देवी पारस सिंह कन्हैया शर्मा नीरज गुप्ता
पार्ड नं.-8 पार्ड नं.-9 पार्ड नं.-10 पार्ड नं.-11 पार्ड नं.-12 पार्ड नं.-13 पार्ड नं.-14

दिव्या मित्तल आई.ए.एस. जिलाधिकारी, देवरिया
गौरव श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी (प्र.) प्रभावी अधिकाारी पंचायतीय निकाय, देवरिया
महेन्द्र पाण्डेय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत हेतिमपुर देवरिया

विरेंद्र कुमार यादव अध्यक्ष नगर पंचायत हेतिमपुर देवरिया